भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3647

(शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए सीएसआर निधि

3647. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाणः

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का विचार है कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत रखी गई निधि का उपयोग ग्रामीण अवसंरचना, आवास, अस्पताल, भवनों, और सड़कों आदि के निर्माण के लिए ही प्रयुक्त किया जाए;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) वर्तमान में सीएसआर के अंतर्गत किन-किन शीर्षों में निधि का व्यय किया जा रहा है और सीएसआर के संबंध में वर्तमान प्रावधानों की स्थिति क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ग): जी, नहीं। तथापि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 में ऊपरी सीमा से अधिक कारोबार या निवल मूल्य या निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी द्वारा पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर खर्च करना अपेक्षित है। अधिनियम की **अनुसूची-VII** में कंपनियों द्वारा सीएसआर नीति के अधीन किए जाने वाले कार्यकलापों की सूची दी गई है। अधिनियम की **अनुसूची-VII** की मद संख्या (X) के अधीन 'ग्रामीण विकास' शीर्ष के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना, आवास, अस्पताल और सड़कों का निर्माण किया जा सकता है।

*****